



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 कार्तिक , 1943 (श०)

संख्या-545 राँची, गुरुवार,

28 अक्टूबर, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

18 अक्टूबर, 2021

संख्या-5/आरोप-1-199/2017-17552 (HRMS)--सुश्री अमृता प्रियंका एक्का, झा०प्र०से० (पंचम बैच, गृह जिला-राँची) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जामताड़ा के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-6276, दिनांक 18.12.2017 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध दिनांक 23.08.2017 से स्वास्थ्य कारणों सम्बन्धी आवेदन देकर बिना अवकाश स्वीकृति कराये अपने कर्तव्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-715, दिनांक 24.01.2018 द्वारा सुश्री एक्का से स्पष्टीकरण की माँग की गई। उक्त के अनुपालन में सुश्री एक्का के पत्रांक-135/वि०, दिनांक 08.02.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। सुश्री एक्का द्वारा अपने स्पष्टीकरण में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(i) जामताड़ा में अस्वस्थतावश स्थानीय चिकित्सालय (सदर अस्पताल, जामताड़ा) में ईलाज कराने के उपरांत तबीयत खराब होने की स्थिति में बेहतर चिकित्सा हेतु इन्होंने उपायुक्त महोदय को सूचित किया तथा दिनांक 23.08.2017 को आवेदन देकर राँची के लिए प्रस्थान किया ।

(ii) राँची में चिकित्सकों के परामर्श के आलोक में विश्राम हेतु अवकाश विस्तृति से संबंधित आवेदन इन्होंने नियंत्री पदाधिकारी को भेजा। चिकित्सीय परामर्श की अवहेलना इनकी स्वास्थ्य के लिए अहितकर होती ।

(iii) स्वस्थ होने के उपरांत इन्होंने दिनांक 08.11.2017 को उपायुक्त, जामताड़ा को अपना योगदान समर्पित किया, जिसे उनके आदेश सं०-646/दिनांक 10.11.2017 द्वारा स्वीकृत करते हुए इनको प्रभार लेने का आदेश दिया गया ।

(iv) उपरोक्त आदेश के संशोधित आदेश ज्ञापांक-651, दिनांक 13.11.2017 द्वारा प्रभार लेन-देन हेतु अल्पावधि के लिए प्रशासनिक कारणों से रूकने को कहा गया, ताकि लेखा पुस्त आदि अद्यतन किया जा सके ।

(v) इन्होंने दिनांक 21.11.2017 को प्रभार लेन-देन किया, जिसकी प्रति सभी संबंधित को प्रेषित की गई ।

(vi) पूर्व में उप विकास आयुक्त, जामताड़ा द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण के जवाब की कंडिका-2 में इन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी थी ।

(vii) प्रभार ग्रहण के उपरांत से अब तक ये अपने कर्तव्यों का निष्पादन पूरी तत्परता से करती आ रही हैं। अतः स्पष्ट है कि इनके कर्तव्य पर न लौटने की संभावना के आलोक में गठित आरोप एक मिथक है। उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए इनके द्वारा कहा गया कि स्पष्टीकरण से मुक्त की जाय, ताकि भविष्य में ये अपने कर्तव्यों का सम्पादन पूर्ण मनोभाव, तत्परता एवं एकाग्रता से कर सके ।

सुश्री एक्का के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-2914, दिनांक 04.05.2018 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गई। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-506, दिनांक 12.02.2021 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि कार्मिक विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक-5768, दिनांक 19.07.2019 द्वारा सुश्री एक्का की दिनांक 23.08.2017 से 20.11.2017 तक कुल 78 दिनों की प्रभार रहित अवधि का सेवा विनियमन की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिस पर विभाग द्वारा मंतव्य दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया ।

सुश्री एक्का के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि सुश्री एक्का का विनियमन संबंधी आवेदन अनुशंसा सहित उपायुक्त, जामताड़ा द्वारा उपलब्ध कराया गया, जिसके आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-5768, दिनांक 19.07.2019 द्वारा इनका अनधिकृत रूप से अनुपस्थित अवधि का अवकाश स्वीकृत किया गया एवं विभागीय ज्ञापांक-5769, दिनांक 19.07.2019 द्वारा सेवा विनियमित किया गया।

अतः समीक्षोपरांत, सुश्री अमृता प्रियंका एक्का, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जामताड़ा के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-6276, दिनांक 18.12.2017 द्वारा गठित आरोप-पत्र (प्रपत्र-‘क’) को संचिकास्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	AMRITA PRIYANKA EKKA 110007710610	सुश्री अमृता प्रियंका एक्का, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जामताड़ा के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-6276, दिनांक 18.12.2017 द्वारा गठित आरोप-पत्र (प्रपत्र-‘क’) को संचिकास्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3282
